–सत्तर–

उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–3965 / ग्यारह–2005–500(66)–2004
लखनऊ, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–873

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 2 सन् 1959) या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या, 2 सन् 1916) के अधीन गठित किसी स्थानीय निकाय के किसी अधिकारी द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित छोटे एवं मध्यम नगरों की एकीकृत नगर विकास योजना के अधीन किसी आवंटिती के पक्ष में निष्पादित (क) पट्टा की लिखत पर उक्त अधिनियम की अनुसूची एक–ख के अनुच्छेद 35 के अधीन प्रभार्य, (ख) पट्टा अधिकार के फ्रीहोल्ड अधिकार में परिवर्तन के लिखत पर अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन भूखण्ड के हस्तान्तरण के रूप में प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से 31 मार्च, 2009 तक छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
अतुल चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. K.N 5-3965/XI-2005-500(66)-2004, dated December 21, 2005 for general information.

No. K. N.-5-3965 / XI-2005-500(66)-2004
Lucknow, Dated December 21, 2005

<u>**Notification**</u>
<u>**Order**</u>

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its appiication to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit from the date of publication of this notification in the Gazette up to March 31, 2009, the stamp duty chargeable on instruments of (a) Lease under Article 35, (b) conversion of leasehold rights into freehold rights chargeable as Conveyance of plots of land under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the said Act executed under the Centrally Sponsored Scheme of Integrated Development of Small and Medium Towns by an Officer of a local body constituted under the Uttar Pradesh Municipal Corporations Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) or under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U. P. Act no. 2 of 1916) in favour of an allottee of the above scheme.

By order,
Sd/-Illegible
ATUL CHATURVEDI,
Pramukh Sachiv.